

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 1970/अग्रहायण 27, 1892

No. 211]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 1970/AGRAHAYANA 27, 1892

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th December 1970

G.S.R. 2047.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Depart-

ment of Revenue and Insurance) No. 232/67-Central Excises, dated 9th October, 1967, namely:—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted namely:—

“TABLE

Sl. No.	Description	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Refined Diesel Oil.	Rs. 22.21 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
2.	Diesel Oil, not otherwise specified.	Rs. 36.21 per kilolitre at fifteen degree of Centigrade thermometer.
3.	Furnace Oil.	Rs. 16.61 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.”

[No. 184/70-C.E.-F. No. 8/26/69-CX-3.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1970

सा० का० नि० 2047.—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 232/67—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 अक्टूबर, 1967 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात् :—

“सारणी

क्रम सं०	वर्णन	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	परिष्कृत डीजल तेल	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पम्पह डिग्री पर 22.21 रुपए प्रति किलो लिटर ।

1	2	3
2.	अन्यथा अभिनिर्दिष्ट डीजल तेल	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 36.21 रुपए प्रति किलो लिटर ।
3.	फर्नेस आयल	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 16.61 रुपए प्रति किलो लिटर ।”

[सं० 184/70-वी ई फा० सं० 8/26/69-सी एक्स-3]

G.S.R. 2048.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 14/67-Central Excises, dated the 21st January, 1967, namely:—

In the said notification, for the expression “Rs. 21.15 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer” the expression “Rs. 16.61 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.” shall be substituted.

[No. 185/70-CE-F. No. 8/26/69-CX-3.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

सां०फा०नि० 2048.—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 14/67-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 21 जनवरी 1967 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 21.15 रुपए प्रति किलो-लिटर” पद अभिव्यक्ति के स्थान पर “सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 16.61 रुपए प्रति किलोलिटर” पद अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जायगी ।

[सं० 185/70-सी ई फा० सं० 8/26/69-सा एक्स-3]

पी० आर० कृष्णन, अधर सचिव ।

